भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 72*

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम

***72. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली सहित देश भर के जनजाति बहुल दूरदराज के क्षेत्रों/ जिलों में मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चिकित्सा जांच कार्यक्रमों और पोषण उपलब्धता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, सहित देश में नवजात शिशुओं की सुरक्षा और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित संक्रामक रोगों के बारे में गर्भवती महिलाओं में जागरूकता और सतर्कता पैदा करने के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रमों के तहत हासिल की गई उपलब्धियों का कालावधिक क्रमिक ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

7 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से देश भर में जनजातीय बहुल दूरस्थ क्षेत्रों/जिलों सहित देश भर में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दादरा और नागर हवेली राज्यों में गर्भवती महिलाओं और प्रसवोत्तर माताओं को चिकित्सा जांच और पोषण प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की नौ तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, नि:शुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तायुक्त प्रसवपूर्व जांच प्रदान की जाती है। **विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति** में गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) पर केंद्रित है, और चिह्नित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के साथ व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) को उनके साथ ले जाने पर केंद्रित है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्ण रूप से नि:शुल्क एवं व्यय रहित प्रसव कराने की पात्र है। इन पात्रताओं में नि:शुल्क औषधियां और उपभोज्य, वहां ठहरने के दौरान नि:शुल्क आहार, नि:शुल्क निदान, नि:शुल्क परिवहन और नि:शुल्क रक्ताधान, यदि आवश्यक हो, शामिल है। इसी प्रकार की पात्रताएं बीमार शिशुओं (एक वर्ष की आयु तक) के लिए भी उपलब्ध हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पोषण सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा मातृ एवं बाल परिचर्या के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।
- विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए **आउटरीच शिविरों** का प्रावधान किया जाता है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक जुटाव के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- **प्रसवोत्तर परिचर्या को इष्टतम बनाने** का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर बल देकर और प्रसव के बाद उच्च जोखिम वाली ऐसी माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार कराने हेतु प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति** मजबूत संस्थागत कार्यतंत्र के माध्यम से छह अंतक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत छह लाभार्थी आयु वर्ग - बच्चे (6-59 माह), बच्चे (5-9 वर्ष), किशोर (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं (15-49 वर्ष) में एनीमिया को कम करने के लिए लागू की गई है।
- **मिशन पोषण 2.0** के तहत, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अद्यतन मानदंडों का पालन करते हैं जो आहार विविधता पर जोर देते हैं। इस मिशन के तहत फोर्टिफाइड पुष्ट चावल और बाजरा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है, और पोषण परिपाटियों में सुधार लाने के लिए जन आंदोलन और मासिक समुदाय आधारित कार्यक्रमों सहित सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई),** यह एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना योजना है जो मजदूरी की हानि के लिए आंशिक मुआवजे हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लागू की गई है ताकि महिलाएं प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें, और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू और एलएम) के बीच स्वास्थ्य की मांग संबंधी व्यवहार में सुधार लाया जा सके।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति संभाजी नगर सहित देश में नवजात शिशुओं और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित संक्रामक रोगों की सुरक्षा के संबंध में गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता और सतर्कता पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

- नवजात शिशु की उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करके आशाकर्मियों द्वारा निर्धारित समय पर किए गए गृह दौरों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए **गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी)** प्रदान की जाती है। ये कार्यकलाप इस प्रकार हैं;
  - o नवजात की विकास संबंधी जांच
  - o जन्म के समय कम वजन वाले और निर्धारित समय से पूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं पर फोकस
  - o बीमार शिशुओं का रेफरल और फॉलोअप
  - o बच्चों की कुशल देखभाल, विशेष रूप से स्तनपान, प्रसवोत्तर देखभाल और परिवार नियोजन के संबंध में माता/परिवार की काउंसलिंग।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) कार्यक्रम के तहत कवर की गई माताएं और नवजात शिशु	
	भारत	छत्रपति संभाजी नगर
2019-20	1,42,39,469	32,051
2020-21	1,34,38,520	25,692
2021-22	1,37,10,886	37,733
2022-23	1,47,05,113	32,935
2023-24	1,46,38,441	31,068

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्ट

- **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए)** कार्यक्रम नवजात की स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए स्तनपान पद्धति कवरेज में सुधार करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें प्रसव के तरीके पर ध्यान दिए बिना स्तनपान की शीघ्र शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान शामिल है।
- **ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस (एचआईवी) और सिफलिस के माता से शिशु में संचरण के उन्मूलन संबंधी** कार्यकलाप पूरे देश में कार्यान्वित राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं। छत्रपति संभाजी नगर जिले सहित देश भर में गर्भवती महिलाओं की सिफलिस और एचआईवी संबंधी जांच की जाती है। मां से बच्चे में एचआईवी का संचरण वर्ष 2020 में लगभग 25% से घटकर वर्ष 2023 में 11.75% हो गया है।

*****